भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 574

जिसका उत्तर 25 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।

.....

लोअर तापी परियोजना के लिए निधि

574. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में लगातार जल संकट की समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) लोअर तापी परियोजना के लिए आवश्यक निधि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है;

(ग) पच्चीस वर्षों से विलंबित इस परियोजना को समय पर पूरा करने की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधि जारी करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और वित्तपोषण सहित जल संकट से निपटने का अधिदेश- संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीमों के अंतर्गत चिन्हित सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के जलगांव जिले में इस समय चल रही 7 वृहद सिंचाई परियोजनाओं और 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं की लगभग 1.8 बिलियन क्यूबिक मीटर जल भंडारण क्षमता और 2.32 लाख हेक्टेयर चरम सिंचाई क्षमता है।

(ख) और (ग): महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी निधि से कार्यान्वित निचली तापी परियोजना पर मार्च, 2024 तक लाभग 2014.44 करोड़ रुपए की लागत आई जिसमें शेष लागत 874.05 करोड़ रुपए अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में परियोजना के लिए राज्य बजट आवंटन 99.39 करोड़ रुपये बताया गया है और परियोजना को मार्च, 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत शामिल करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, इस मंत्रालय की संबंधित समितियों ने इसको तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता को स्वीकार कर लिया है और 2,888.48 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2023 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत से निचली तापी परियोजना को निवेश मंजूरी भी दी है। हालांकि, इसका समावेशन वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया के सफल समापन और योजना के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और भौगोलिक साम्यता, सरकार की प्राथमिकताओं आदि के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत परियोजना शामिल हो जाने के बाद उसके लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय सहायता संवितरित की जाती है।

*****